

आदेश

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)
दि० 15/12/16

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 30/12/2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट माटर मार्ग के कि०मी० 18 चूड़ुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु ओखलधार तक 06 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.680 है० की दुगुनी अवनत भूमि 5.360 है० जो ग्राम गौसी पटवारी क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 112 के पैमाईशी खेत नम्बर 3336 रकबा 19.120 है० मध्ये 5.360 है०, कुल रकबा 5.360 है० श्रेणी 9(3)ख(2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/XVIII(11)/2012-18(120) /2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 974/X-4-16/ 1(312)/ 2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 5.360 है० भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या - 67 / छब्बीस वन / 2016-17 दिनांक 07 / 12 / 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2-अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3-उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4-तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

P.No-2159/22 दि०-16/12/16

प्रतिलिपि को प्रकाश लाल, सहायक
अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो० नि० वि० कपकोट को
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित

15/12/16
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कपकोट
14/12/16

photo copy Attached.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)